न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपील/एल.आर./1188/2005/गंगानगर

1– श्योपतराम पुत्र पीथाराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील सार्दुलशहर जिला श्री गंगानगर।

..... अपीलार्थी

बनाम

1– काशीराम पुत्र पीथाराम जाति जाट – फौत (जरिये वारिसान)
1/1. मदनगोपाल पुत्र काशीराम,
1/2. रिछपाल पुत्र काशीराम,
1/3. हंसराज पुत्र काशीराम,
1/4. संदीप पुत्र काशीराम,
1/5. कमला पुत्री काशीराम समस्त जाति जाट निवासीगण जोगीवाला तहसील सार्दुलशहर जिला श्री गंगानगर।
2– इन्द्राज,
3– मोहनलाल पि0 भादरराम जाति जाट निवासी मनफूलवाला तहसील व जिला श्री गंगानगर।
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) जिला श्री गंगानगर।

..... रेस्पोडेन्ट्स

(2) अपील/एल.आर./1218/2005/गंगानगर

1– इन्द्राज,
2– मोहनलाल पि0 भादरराम जाति जाट निवासी मनफूलवाला तहसील व जिला श्री गंगानगर।

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1– काशीराम पुत्र पीथाराम जाति जाट – फौत (जरिये वारिसान)
1/1. मदनगोपाल पुत्र काशीराम,
1/2. रिछपाल पुत्र काशीराम,
1/3. हंसराज पुत्र काशीराम,
1/4. संदीप पुत्र काशीराम,
1/5. कमला पुत्री काशीराम समस्त जाति जाट निवासीगण जोगीवाला तहसील सार्दुलशहर जिला श्री गंगानगर।
2– श्योपतराम पुत्र पीथाराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील सार्दुलशहर जिला श्री गंगानगर।
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) जिला श्री गंगानगर।

..... रेस्पोडेन्ट्स

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री, प्रदीप विश्नोई अभिभाषक अपीलांट्स।
(2) श्री अमृतपालसिंह, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2

निर्णय दिनांक :– 15.12.2021

यह दो अपीलें अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा अपील सं0 236/2002 व 247/2002 में पारित निर्णय दिनांक 14–10–2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– दोनों अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं0 1 काशीराम ने विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22–2–1999 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 15 एल0एन0पी0 (द्वितीय) के मुरब्बा नं0 4 में किला नं0 21 ता 25 में से पुराना रास्ता चल रहा है जिसे श्योपतराम बन्द करना चाहता है। अतः उसे पाबन्द किया जावें और मुरब्बा नं0 15, 16 वाके चक एल0एन0पी0 प्रथम में जाने हेतु रास्ता बन्द है, इसको मौका देखकर खुलवाने की कार्यवाही की जावें। इस प्रार्थना पत्र के लम्बित रहते रेस्पो0/प्रार्थी काशीराम ने दूसरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कन्डीशन नं0 8 (2) सामान्य कन्डीशन 1955 के तहत दिनांक 6–12–1999 को प्रस्तुत कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी श्री गंगानगर से यह निवेदन किया कि उसके खेत मुरब्बा नं0 वाके चक 15 एल0एन0पी0 प्रथम में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसके मुरब्बा नं0 4 चक 15 एन0पी0, द्वितीय एवं मुरब्बा 14 के किता नं0 21 ता 25 तथा मुरब्बा नं0 13 के किला नं0 24, 25 में से और मुरब्बा नं0 6 के किला नं0 1, 10, 11, 20 व 21 जो चक 15 एल0एन0पी0 द्वितीय (ए) का मुरब्बा है जिसमें से प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत कर दिलाया जावें। विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 3–5–2000 को रास्ता स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27–7–2001 को अपील स्वीकार कर प्रकरण सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। विद्वान विचारण न्यायालय में प्रकरण प्रतिप्रेषित होने के उपरान्त पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी/रेस्पो0 सं0 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी/अपीलार्थीगण की ओर से दो अपीलें विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री

गंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिन्हें दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब करते हुए योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 3–3–2005 से दोनों अपीलें अपीलार्थीगण खारिज कर दी गई जिस निर्णय दिनांक 3–3–2005 से व्यथित होकर प्रथम अपील सं0 1188/2005 अपीलार्थी श्योपतराम एवं दूसरी अपील सं0 1218/2005 इन्द्राज व अन्य की ओर से प्रस्तुत की गई है।

3– चूंकि दोनों अपीलों में पक्षकार एक समान, विचारणीय बिन्दु एक समान होने तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों का एक साथ निस्तारण किये जाने के फलस्वरूप इस न्यायालय द्वारा भी दोनों अपीलों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक अपील में संलग्न की जावें।

4– विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

5– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा मौका व प्रार्थी/रेस्पो0 काशीराम के बयानों से साबित है कि प्रार्थी की भूमि मुरब्बा नं0 13 के पूर्व में स्थित मुरब्बा नं0 12 में से होती हुई नहर के साथ–साथ एक कच्ची सड़क स्थित है जो मुरब्बा नं0 12 के किला नं0 1, 10, 11, 20 व 21 से होकर जाती है। इस सड़क से काशीराम की भूमि केवल मात्र 700 फीट अर्थात लगभग 4 बीघा दूर पड़ती है जबकि प्रार्थी को मंजूर की गई भूमि लगभग 3 मुरब्बा अर्थात एक किलोमीटर के लगभग दूर पड़ती है। इस आधार पर भी प्रार्थी के लिए नजदीक व सुविधाजनक रास्ता मुरब्बा नं0 12 के किला नं0 22 ता 25 का ही पड़ता है। चूंकि जिस आराजी में से रास्ता स्वीकार किया गया है, वह सन् 1955 से पूर्व की खातेदारी की भूमि है। इस पर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को धारा 8 (2) उपनिवेशन अधिनियम के तहत रास्ता मंजूर करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने लम्बा रास्ता स्वीकृत कर दिया जबकि नजदीकी रास्ता था। सभी खातेदारान जिनके खेत में रास्ता स्वीकृत किया जा रहा है, उन्हें पक्षकार बनाना जरूरी है। अतः अपीलार्थी की दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री

गंगानगर के निर्णय दिनांक 3–3–2005 व विद्वान उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 14–10–2002 निरस्त किये जावें।

6– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रकरण में रूघाराम सहमत था, उन्होंने अपील नहीं की। अपील के माध्यम से सम्पूर्ण रास्ता निरस्त नहीं किया जा सकता है। नहर के साथ कच्चा रास्ता है, स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने मौका रिपोर्ट मंगवाई जिसमें रास्ते का अभाव माना। विद्वान विचारण न्यायालय ने रास्ता सही स्वीकृत किया और विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपीलें सही खारिज की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय को ही रास्ता स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार था। इसलिए अपीलार्थीगण की दोनों अपीलें काबिल खारिज योग्य होने से खारिज की जावें।

7– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

8– विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03–03–2005 में माना है कि मौका निरीक्षण के समय उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय में स्वीकृत रास्ते के संबंध में अपनी सहमति दी थी। इस प्रकार अपीलार्थीगण पर स्टोपल का सिद्धान्त लागू होता है और इसकी पुष्टि 1994 डी0एन0जे0ाा राजस्थान उच्च न्यायालय 616 के न्याय दृष्टान्त से होती है। अपीलार्थीगण ने रास्ता स्वीकृति के एवज में भूमि अथवा मुआवजा की मांग की है जो कि न्यायोचित नहीं है क्योंकि 1994 आर0आर0डी0 293 के न्याय दृष्टान्त के अनुसार कलोनी कंडीशन 1955 के नियम 8 (2) के अन्तर्गत स्वीकृत रास्ता की एवज में कोई मुआवजा दिलाने का प्राधान नहीं है। फलस्वरूप अपील सं0 236/2002 व 247/2002 अस्वीकार की जाती हैं।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर में प्रकरण दर्ज होने के पश्चात् तहसीलदार, श्री गंगानगर द्वारा दिनांक 13–12–1999 को मौका रिपोर्ट मय नक्शा संलग्न कर प्रेषित की गई। इसके बाद दिनांक 1–5–2000 को स्वयं उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा स्वयं रास्ते का मौका देखा गया तथा संबंधित के बयान लिये गये जिसमें अंकित है कि करीब दो साल पहले तक काशीराम के खेत तक इन्हीं मुरब्बा नं0 यानि 15 एल0एन0पी0 मु0नं0 4 किता 21 ता 25, 15

एल0एन0पी0 II मु0 नं0 14 किता 21 ता 25 तथा मु0नं0 13 कि0नं0 24–25 में से रास्ता था जो बाद में दो साल पहले बन्द कर दिया गया है। इसी आधार पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा दिनांक 14–10–2002 को निर्णय पारित किया गया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए विद्वान उपखण्ड अधिकारी के आदेश का यथावत् रखा है।

10– अपील के आधारों के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील भूमि को 1955 से पूर्व की खातेदारी भूमि होने बाबत् कोई दस्तावेज/साक्ष्य अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी श्री गंगानगर द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते की स्वीकृति बाबत् पारित निर्णय दिनांक 14–10–2002 उचित रूप से पारित किया गया है जिसे विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 3–3–2005 द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए बहाल रखा गया है।

11– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में दोनों अपीलें अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–3–2005 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर पारित आदेश दिनांक 14–10–2002 बहाल रखें जाते हैं। निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य